वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 159/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-02.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 02.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना अहरौला: मण्डई में आग लगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2025 को आवेदक/वादी प्रमोद पुत्र रामआसरे ग्राम मडना थाना अहरौला जनपद आजमगढ उपस्थित थाना स्थानीय आकर लिखित तहरीर दिये कि दिनांक 30.4.2025 की रात करीब 9.30 बजे मोनू पुत्र स्व0 रामशबद पता उपरोक्त ने मेरे मण्डई मे आग लगा दिये कि प्रार्थी व मेरे भाई प्रदीप ने विपक्षी को आग के उजाले मे मोनु को पकड लिया कि छिपकर खडे संजय व गौतम पुत्रगण स्व0 राम शबद पता उपरोक्त ने गाली गुप्ता देते हुए मुझे व मेरे भाई को मारपीट करके मोनू को छुडा लिए व तीनो भागने मे सफल रहे। शोर पर गांव के तमात लोगो ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया किन्तु प्रार्थी की मण्डई व उसमे रखा रजाई , गद्दा ,तकिया ,चारपाई चौकी , कम्बल, चावल , गेहूँ, सरसो कपडा लत्ता मोबाइल व नगद बीस हजार रुपया सहित अन्य सामान जल कर राख हो गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 174/25 धारा 326(छ)/115(2)/352 BNS** पजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण.........

आज दिनांक 02.05.2025 को **उ0नि0 रंजन कुमार साव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त मोनू पुत्र रामसबद निवासी मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ** को मड़ना पुलिया के पास से **समय करीब 9.50 बजे** नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना अहरौला: चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये आभूषण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

1. पूर्व की घटना (A) दिनांक 20.12.2024 को आवेदिका सोनी पत्नी इसराइल शेख ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता लिखित तहरीर दिया कि मै घर मे ताला बन्द करके मायके गयी थी कि दिनांक 18/19.12.2024 की रात में अज्ञात चोरो ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे बक्सा का ताला तोड़कर एक सोने का चैन, सोनी की एक लाकेट, सोने का एक जोड़ी झाला, सोने की एक अंगूठी चांदी का पायल एक जोड़ी एक सोने का मांगटीका को चुरा ले गये है आज सुबह मे पड़ोसी ने फोन करके बताया तब मै मायके से जब घर आयी तो देखा की घर का ताला टूटा है तथा बक्सा का भी ताला टुटा और उपरोक्त सामान चोरी हो गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 526/2024 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस** दि0घ0 18/19.12.2024 समय अ0त0 दि0सू0 20.12.2024 समय 19.30 बजे घटना स्थल बहद ग्राम मेहियापार वफासला 06 कि0मी0 उत्तर बामुदैय्यत वादिनी मुकदमा सोनी पत्नी इसराइल शेख ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत होकर हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 निशिकान्त द्वारा सम्पादित की जा रही है।

(B)…. दिनांक 27.01.2025 को आवेदिका अर्पणा सिंह पत्नी सोनू सिंह ग्राम कोठरा (डाही) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 24.1.2025 को रात्रि के समय तकिया के नीचे चाभी रखी थी चाभी लेकर अज्ञात व्यक्ति ताला खोल करके घर के अन्दर घुस गया आलमारी में रखा गहना , सोने की झाली बड़ा वाला, सोने का कुन्डल एक जोड़ी सोने का मंगलसूत्र दो, चांदी का पावजेब एक जोड़ा चांदी का मीना दो जोड़ी सोने की अंगुठी दो सोने का माला एक चांदी का पायल एक जोड़ी चन्द्रमा लाकेट सोने का एक हजार रुपया कैश ये सब सामान अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गये जब प्रार्थिनी सुबह उठी तो देखी कि सारा सामान आलमारी मे से गायब था डायल 112 नं0 पर फोन किया तो 112 नं0 की पुलिस मौके पर गयी थी प्रार्थिनी के साथ तिसरी घटना है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 034/2025 धारा 305(ए) बीएनएस** दिनाँक घटना 24.01.2025 समय करीब अ0त0 बजे रात में दिनांक सूचना 27.01.2025 व समय 18.32 बजे घटना स्थल बहद ग्राम कोठरा (डाही) बफासला करीब 08 किमी पूर्व बामुदैय्यत वादिनी श्रीमती अर्पणा सिंह पत्नी सोनू सिंह निवासी ग्राम कोठरा (डाही) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मो0नं0 6387789780 बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत होकर हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबचन राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

(C)…. दिनांक 01.05.2025 को आवेदक राममिलन पुत्र भवरनाथ ग्राम बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 15.4.2025 टिल्लू पम्प रात्रि के समय खोल कर उठा ले गया है गाँव के ही विक्की व शनि पुत्रगण राजेन्द्र। जब प्रार्थी टिल्लू पम्प मांगने गया तो विपक्षीगण गाली गलौज देते हुए आमादा फौजदारी करने को आमादा है। और विक्की व शानि बोले कि थाने पर अगर प्रार्थना पत्र दोगे तो तुम्हे जान से मार देगे। डर वश आज दिनांक 1.5.2025 को थाने पर प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 175/25 धारा 303(2),352,351(3)/317(2) बीएनएस** दिनाँक घटना 15.4.25 समय अ0त0 बजे रात में दिनांक सूचना 1.5.2025 व समय 20.54 बजे घटना स्थल बहद ग्राम बनकट ब फासला करीब 08 किमी पूर्व बामुदैय्यत वादी श्री राममिलन पुत्र भवरनाथ ग्राम बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ बनाम 1.विक्की 2.शनि पुत्रगण राजेन्द्र राम निवासी बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ के पंजीकृत होकर हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबचन राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण........

आज दिनांक 02.05.2025 को **उ0नि0 निशिकान्त, मय उ0नि0 लालबचन राय** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **अभियुक्त विक्की पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2. सन्नी उर्फ शनी पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बनकट थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी गये आभूषण 1 अदद अंगूठी पीली धातु , 1 जोडी (2 अदद) पायल सफेद धातु , 1 अदद मांग टीका पीली धातु एक अदद चैन पीली धातु , एक अदद लाकेट पीली धातु , एक अदद अंगूठी पीली धातु , चार अदद बिछिया सफेद धातु , एक जोडी पायल सफेद धातु व एक अदद टुल्लू**

पम्प के साथ समय 02.40 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण.........

1-मु0अ0स0 526/24 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस,

2-मु0अ0सं0 034/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस,

3-मु0अ0स0 175/25 धारा 303(2)/352/351(3)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता.............

1. विक्की पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

2. सन्नी उर्फ शनी पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बनकट थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण..........

1-उ0नि0 निशिकान्त, मय उ0नि0 लालबचन राय मय हमराह हे0का0 हरिश्चन्द भाष्कर, हे0का0 अजय कुमार पाण्डेय थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

03.थाना – कोतवाली: साइबर फ्राड का 19,335 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 17.10.2024 को आवेदक आर्यन मिश्रा पुत्र सुनील मिश्रा निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ 59000 रूपये का साइबर फ्राड हुआ था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर Complain No. 3311024013xxxxx पंजीकृत किया गया था । NCRP Complain No. 3311024013xxxx के आधार पर आवेदक उपरोक्त का 19335 रूपये होल्ड कराया गया था उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये म0आ0 उमा वर्मा के द्वारा होल्ड हुए पैसे पर मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाकर आवेदक के पैसे को वापस कराया गया।

➡ आवेदक आर्यन मिश्रा उपरोक्त के साइबर कम्पलेन के जांच के क्रम में साइबर टीम कोतवाली द्वारा आज दिनांक 02.05.2025 को आवेदक के खाते में कुल 19335 रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 विनय कुमार सहाय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. कम्प्यूटर ऑपरेट सनत सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
4. म0आ0 उमा वर्मा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

04. थाना-महराजगंज: गैरइरादतन हत्या में वांछित 01 गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 29.04.25 को वादी इन्दल पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी आराजी आमानी (सैदपुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा खेत में नंगा बिजली के तार में करंट दौड़ाना जिससे आवेदक के लड़के अरुण यादव उम्र 10 वर्ष को करंट लग जाने से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 105/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. पप्पू उर्फ शिवानन्द पुत्र स्व0 राम भरोस 2.शिवम पुत्र पप्पू उर्फ शिवानन्द नवासी आराजी आमानी(सैदपुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 02.05.25 को **व0उ0नि0 कैलास सिंह यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत **अभियुक्त पप्पू उर्फ शिवानन्द पुत्र स्व0 रामभरोसे सा0 सैदपुर अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़** को सहदेवगंज बाजार से समय 04.30 सुबह हिरासत पुलिस में नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05.थाना अतरौलियाः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण –

दिनांक 28.04.2025 को वादिनी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 16 जो शौच के घर से बाहर गयी थी को विपक्षी पवन निषाद पुत्र रामअवतार निषाद निवासी अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दि0 29.04.2025 को **मु0अ0सं0 141/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस** का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 02.05.2025 को **उ0नि0 विनय कुमार यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीडिता/अपहृता व **अभियुक्त पवन निषाद पुत्र रामअवतार निषाद निवासी अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ** उम्र 19 वर्ष को सम्मो माता मन्दिर कस्बा अतरौलिया के पास से समय करीब 18.05 बजे पीड़िता को महिला आरक्षी स्वाती शुक्ला की अभिरक्षा मे तथा नामित अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/ जेल भेजा जा रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

06.थाना- महराजगंज: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 बाल अपचारी हिरासत में

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 29.03.25 को वादी कोतवाली महाराजगंज जनपद –आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि एक बाल अपचारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। । पीड़िता जाने के कारण व बरामदगी व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस ¾ पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण

दिनांक 01.05.25 उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को को समय 17.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

07.थाना सरायमीर: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/ -

वादिनी दि0 29.04.25 को समय करीब 10 बजे दिन अपने मायके गई थी। वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 8 वर्ष घर पर अकेली थी वादिनी के पति दुबई रहते है। दूसरे दिन दिनांक 30/4/25 को जब वादिनी मायके से वापस घर आई तो समय लगभग 10 बजे दिन में आयी तो वादिनी की पुत्री ने बतायी कि विपक्षी अमरजीत पाल पुत्र रामबचन पाल निवासी दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी व गलत हरकते की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 01.05.2024 को **मु0अ0सं0 168/25 धारा 75/352 बीएनएस व 9एम/10 पास्को एक्ट** बनाम अमरजीत पाल पुत्र रामबचन पाल सा0 दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 75 बीएनएस व 9एम/10 पाक्सो एक्ट का लोप करते हुए **धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी हैं।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.05.2025 उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अमरजीत पाल पुत्र रामबचन पाल सा0 नरहरपुर (दिलौरी) थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** को संजरपुर छाऊ मोड़ के पास से समय करीब 04.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा आज दिनांक 02.05.2025 चालान मा0 न्यायालय किया गया।